

कार्यालय आदेश

विषय:- पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन।

उपरोक्त विषय पर कार्यालय के दिनांक 05.09.2024 के समसंख्यक कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया है और तदनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्र.सं	नाम	पदनाम	दूरभाष
1	सुश्री मट्टू जे.पी.सिंह.महानिदेशक	अध्यक्ष	011-23488018
2	सुश्री नलिनी रमेश, अनुभाग अधिकारी	सदस्य सचिव	011-23386043
3	श्री विराट मजबूर, निदेशक	पुरुष सदस्य	011-23488068
4	डॉ. चारू कालरा	गैर-अधिकारी सदस्य	09313009220

- यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार शिकायत समिति के रूप में कार्य करेगी, जिसे अब सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 अर्थात नियम संख्या 3-सी में शामिल कर लिया गया है।
- समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक पदधारण करेंगे।
- अध्यक्ष को समिति द्वारा अपेक्षित होने पर कार्यालय में किसी अन्य अधिकारी को सहयोजित करने या भागीदारी के लिए बुलाने का अधिकार होगा।
- गैर सरकारी सदस्य को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही करने के लिए नियोक्ताद्वारा ऐसी फीस या भत्ता दिया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाएगा।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(भूपेंद्र कुमार)

अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)

दूरभाष-011-23381137

प्रति:-

- उपरोक्त सभी अधिकारी
- प्रधान महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव/अपर महानिदेशक(सतर्कता) के प्रधान निजी सचिव /अपर महानिदेशक(प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव)
- अवर सचिव (प्रशासन III), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन
- पीआईबी (मुख्यालय) के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
- पीआईबी के सभी क्षेत्रीय/शाखाकार्यालय।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी-पीआईबी (पी आई बी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- नोटिस बोर्ड